न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती संजू शर्मा, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 56/2013 (225 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. नेतराम पुत्र श्री गंगाराम गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम खरखड़ी खुर्द तन ज्ञानपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांट

बनाम

1. हरबक्स पुत्र श्री श्योदान जाति खटीक निवासी ग्राम नारायणपुर तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 ।
2. तहसीलदार बानसूर बहैसियत लैण्ड होल्डर बानसूर जिला अलवर राज0 ।

..... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :–
1. श्री अशोक कुमार मुदगल अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री भूपेन्द्र शेखावत अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1
3. श्री विनोद यादव राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 2

::: निर्णय :::

दिनांक :–19.05.2017

यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर, बानसूर के निर्णय दिनांक 3.5.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि हाल आराजी ख0 नं0 55 रकबा 0.32 है0 वादी के कब्जे काश्त की आराजी है तथा ख0 नं0 56 रकबा 0.29 है0 वाके मौजा खरखड़ी खुर्द तहसील बानसूर की आराजी अप्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो विवादित आराजी है । वादी की आराजी के साथ लगती हुई प्रतिवादी सं0 1 की खातेदारी की आराजी ख0 नं0 56 रकबा 0.29 है0 उक्त आराजी विवादित आराजी के तरफ दक्षिण में है । अप्रार्थी, प्रार्थी की आराजी पर जबरन कब्जा करने के लिए उत्तर की बॉल तोड़ कर अपनी आराजी में मिलाने की कोशिश करता है तथा प्रार्थी को उसकी आराजी

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करता है तथा लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हैं तथा धमकी दी है कि विवादित आराजी पर जबरन कब्जा कर मेरी आराजी में मिला कर रहूंगा । यदि अप्रार्थी अपने उक्त कृत्य में सफल हो गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी । प्रथम दृष्ट्या केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित है । इसलिए अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया । विद्वान तहत न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया । विद्वान तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर दि0 3.5.2016 को वादी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिस निर्णय दि0 3.5.2016 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत किया ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर तहत न्यायालय की पत्रावली तलब करते हुए दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में निवेदन किया कि अपीलांट की खातेदारी की आराजी ख0 नं0 55 रकबा 0.32 है0 स्थित है तथा ख0 नं0 56 रकबा 0.29 है0 रेस्पो0 सं0 1 की आराजी हे जो कि अपीलांट की आराजी के तरफ दक्षिण में स्थित है । रेस्पो0 सं0 1 अपीलांट की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहता है तथा अपीलांट की आराजी की डोल तोड़कर अपनी आराजी में मिलाना चाहता है । अपीलांट द्वारा तहसीलदार बानसूर के समक्ष आराजी की पैमायश एवं पत्थरगढ़ी हेतु निवेदन करने पर दि0 4.6.2014 को तहसीलदार बानसूर व पटवारी तथा अन्य स्टॉफ की देखरेख में पैमायश करवाई गई लेकिन रेस्पो0 सं0 1 उक्त पैमायश को नहीं मानता तथा डोल तोड़कर अपनी आराजी में मिलाने पर उतारू है तथा अपीलांट की खड़ी फसल को बरबाद करवाने के लिए बार–बार पैमायश करवाना चाहता है तथा झगड़ा करता है । दि0 4.6.2014 की मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित है कि रेस्पो0 सं0 1 के पास ख0 नं0 56 रकबा 0.29 है0 की जमीन से अधिक 0.30 है0 पर कब्जा है तथा इधर–उधर उसकी कोई भी जमीन नहीं दबी हुई है । रेस्पो0 सं0 1 अपीलांट की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहता है तथा अपीलांट की आराजी पर बने हुए पक्के मकानों को अपना बताता है । प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति अपीलांट के पक्ष में साबित थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

प्रतिउत्तर में विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया था । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में जो विवादित आराजी होना अंकित किया है, वह गलत है । मूल वाद तो अपीलांट द्वारा रेस्पो0 सं0 1 की भूमि पर जबरन कब्जा कर बनाये गये टीन सैड को लेकर है जिसके संबंध में स्वय अपीलांट ने सिविल न्यायालय में भी वाद दायर कर स्थगन आदेश चाहा था । सिविल न्यायालय में अपीलांट को स्थगन आदेश नहीं मिलने पर माननीय न्यायालय में गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है । अपीलांट अपने अवैध अतिक्रमण को बचाने हेतु स्थगन चाहता है जो नियमों के खिलाफ है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत

Scanned by CamScanner

है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड अनुसार रेस्पो0 विवादित आराजी का रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा एक रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा तभी जारी की जा सकती है जब वह आराजी पर काबिज हो एवं प्रथम दृष्ट्या प्रकरण उसके पक्ष में साबित हो । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध माननीय सिविल एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बानसूर के समक्ष भी वाद दायर किया एवं तहसीलदार बानसूर द्वारा 183 बी. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित निर्णय एवं जिला कलक्टर अलवर के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी नहीं होकर पक्के निर्माण को लेकर मुख्य विवाद है । जिस पर अपीलांट अस्थाई निषेधाज्ञा चाहते हैं जो मेरी राय में एक रेकार्डेड खातेदार के पक्ष में दिया जाना उचित नहीं समझते हैं । साथ ही प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति भी अपीलांट के पक्ष में साबित नहीं होती है । अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण परीक्षण कर निर्णय पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं और अपीलांट की अपील खारिज योग्य पायी गयी है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, बानसूर के निर्णय दिनांक 3.5.2016 यथावत रखा जाता है । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 19.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर

Scanned by CamScanner